

पत्र संख्या-विधि-1(3)-ईट भट्टा समा0यो0(11-12) / 13/ 1213002 /वाणिज्य कर ।

र्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

(विधि अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ :: अप्रैल 03 ,2012

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

ईट भट्टा सीजन वर्ष 2011-2012 में दिनांक 1-10-2011 से 30-9-2012 तक की अवधि के लिए एकमुश्त धनराशि लिये जाने सम्बन्धित समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-क0नि0-1318/ग्यारह-2-2011-9-(32)/09, दिनांक 19-12-2011 के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-विधि-1(3)-ईट भट्टा समा0यो0(2011-12)/1286/1112082/वाणिज्य कर, दिनांक 19-12-2011 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे ।

- 2- शासन के संदर्भित पत्र दिनांक 19-12-2011 में निर्देश का बिन्दु-5 निम्नवत् है :-
समाधान योजना के कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा परिपत्रित करने के 30 दिन के अन्दर ईट भट्टा व्यवसायों द्वारा समाधान योजना हेतु विकल्प का प्रार्थनापत्र निर्धारित समाधान धनराशि के जमा के प्रमाण के साथ सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा । उसके पश्चात् यदि 15 दिन के अन्दर इस अवधि के लिए देय समाधान राशि 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा करके समाधान योजना का विकल्प प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाता है तब भी इसे स्वीकार कर लिया जायेगा । उक्त दोनों समय सीमा के बाद राजस्व हित में समाधान योजना का विकल्प देने के लिए अधिकतम 30 दिन की अतिरिक्त अवधि बढ़ाने का अधिकार कमिशनर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को प्रदान कर दिया जाये एवं विकल्प हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के उपरान्त कमिशनर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमन्य की गयी अवधि तक के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित समाधान राशि जमा करनी होगी ।

- 3- उत्तर प्रदेश ईट निर्माता समिति (रजिस्टर्ड) लखनऊ के प्रत्यावेदन दिनांक 31-1-2012 एवं दिनांक 23-3-2012 इस आशय के प्राप्त हुए हैं कि माह जनवरी 2012 के प्रारम्भ में ही हुई भारी वर्षा से ईट भट्टों पर तैयार कच्ची ईटों के भारी मात्रा में गल जाने के कारण ईट भट्टा स्वामियों को काफी आर्थिक नुकसान हो गया तथा भट्टे समय से फुंकाई कार्य प्रारम्भ नहीं कर सके हैं । प्रत्यावेदन दिनांक 23-3-2012 में यह उल्लेख किया है कि प्रदेश में सम्पन्न हुए विधान सभा चुनाव की व्यवस्तता तथा सूचना समय से न मिलने के कारण कुछ ईट भट्टा स्वामी समाधान योजना स्वीकार करने से वंचित रह गये हैं और वह योजना स्वीकार करना चाहते हैं तथा कुछ ईट भट्टा स्वामियों ने अन्तिम तिथि 2-2-2012 के पश्चात् भी समाधान योजना ब्याज सहित जमा

कराते हुए योजना स्वीकार करने का आवेदन अपने कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया है। परन्तु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी उन्हें योजना का लाभ नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए योजना की व्यापक सफलता के हित में योजना को स्वीकार करने का समय शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत 30 दिनों के लिए बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

4- मुख्यालय स्तर पर ईट निर्माता समिति के उक्त दोनों प्रत्यावेदनों पर विचार किया गया। समाधान प्रार्थनापत्र का विकल्प प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन एवं विलम्ब से ब्याज सहित जमा करने की अवधि 15 दिन दिनांक 2-2-2012 को समाप्त हो गयी है। अतः राजस्व हित में एवं अधिक से अधिक व्यापारियों को ईट भट्ठा समाधान योजना का लाभ उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि समाधान प्रार्थनापत्र स्वीकार करने की अवधि दिनांक 2-2-2012 से 30 दिन अर्थात् दिनांक 3-3-2012 तक बढ़ायी जाती है तथा यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि दिनांक 3-3-2012 तक प्राप्त समाधान योजना के विकल्प प्रार्थनापत्रों को, यदि अन्य निर्धारित शर्तें पूर्ण हैं, तो उन्हें स्वीकार कर लिया जाये।

कृपया उपरोक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(विनोद कुमार)

एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1 (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ०प०सं० एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (4) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, उ०प्र०।
- (5) समस्त जूनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, उ०प्र०।
- (6) समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर, उ०प्र० मुख्यालय लखनऊ।
- (7) एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०/ अपील), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक / वि०अनु०शा० / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (9) समस्त डिप्टी कमिशनर / अस्सिस्टेंट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी (क०नि० / वि०अनु०शा० / स०द०) वाणिज्य कर,, उत्तर प्रदेश।
- (10) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- (11) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर, इलाहाबाद।
- (12) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (13) प्रबन्धक, इसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
- (14) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

- (15) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (16) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा।
- (17) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिशनर/ डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य) गाजियाबाद।
- (18) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिशनर/ डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0) लखनऊ/इलाहाबाद।
- (19) मैअनुल अनुभागा/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10 प्रतियों में।
- (20) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ।
- (21) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- (22) अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी, बांसमण्डी, लखनऊ।
- (23) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ।
- (24) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
- (25) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
- (26) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलसाफा लखनऊ।
- (27) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
- (28) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ।
- (29) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
- (30) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड, लखनऊ।
- (31) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद।
- (32) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर, लखनऊ।
- (33) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य0) के माध्यम से।
- (34) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
- (35) शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0 कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर।
- (36) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर।
- (37) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।
- (38) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।
- (39) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।
- (40) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी।
- (41) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1 कुँजगली, चौक, वाराणसी।
- (42) श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर।
- (43) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा।
- (44) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0 ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलदाल मण्डी सहारनपुर।
- (45) आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
- (46) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60 चाहचन्द इलाहाबाद।
- (47) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल उ0प्र0 प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर।
- (48) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर।
- (49) संयोजक, टैक्सेशियों एक्कैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0, 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (50) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा।
- (51) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0पा0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (52) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ।
- (53) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर।

- (54) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ०प्र० टेन्ट व्यापार एसो० 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (55) श्री हुलास राय सिँघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ ।
- (56) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी०-बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ ।
- (57) माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।
- (58) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल , 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।
- (59) श्री दिनेश चन्द्र माल, उपाध्यक्ष उ०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, उ० बी०एन०रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।
- (60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन , विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- (61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड , कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी०) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट , हाथरस ।
- (63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसिएशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ०प्र०)
- (65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ०प्र० उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।
- (66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न०-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ ।
- (67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, आर०डी०सी०-51, राजनगर , गाजियाबाद ।
- (69) श्री बी०एन०शुक्ला, अध्यक्ष, यू०पी० पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।
- (70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ ।
- (71) श्री रवि सन्दूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू०पी०)

(बी०एन० द्विवेदी)

ज्वाइंट कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, मु० ।